H P. STATE FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED,
ROSIN AND TURPENTINE FACTORY, BILASPUR (HP) PHONE NO.01978-222464

GSTIN 02AAACH4036L2ZV

Tender Notice

E-Tenders are invited for the following factory works/Jobs/Services for the year 2025-26 on dates mentioned against each. The e-tenders shall be received and opened in the office of G.M.R&t Factory Bilaspur (HP) upto dated and time mentioned below

S. N	Particulars	Approx. (Qty.)	Tender form fee (incl. GST)	Earnest Money	Last date and time of submission of E-tender	Date andtime of opening of E-tender	Date andtime of opening of Technical Bid	Date andtime of opening of Fiancial Bid
1	Fabrication of PGI Sheet Drums & Tin Patra drums of 200 Kg Capacity	PGI =10250Nos. TPB= 10250Nos	1475/-	100000/-	13.05.2025 at 1.00 PM	13.05.2025 at 2.00 PM	-	-
2	Loading of Rosin filled drums (200 Kg)	20500 Drums	708/	26000/-				
3	Unloading of resin filled tins and stacking in Resin Shed.	300000 Tins	708/	30000/-				
4	Rolling of Rosin filled drums from production to dispatch section, grade wise stacking and allied works of Rosin drums in dispatch section.	20500 Drums	708/	75000/-				
5	Weighment, Topping & Stenciling of Rosin Drums up to fitting of lid complete and handing over to dispatch section and allied works of Rosin filled drums.	20500 Drums	708/-	75000/-				
6	Feeding of Resin (i.e. issued from resin yard/store and sakki section following sakki analysis) in resin pits including washing dirty and throwing of empty tins at designated place in the factory premises and other allied works as per term and conditions of the E-tender	1600 tin / 4 Rest VATs per day	1475/-	150000/-				
7	E-Tender under two cover system (Tecnical Bid in one cover and Price Bid in another cover) are invited from experienced & reputed Manufacturers / experienced suppliers/ Authorized dealers for the Supply of SS 304 Mixing tank and Burner for the Phenyl processing	1 No.each	1475/-	70000/-	-	-	14.05.2025 at 2.00 PM	14.05.2025 at 4.00 PM

For Item Sr.No. 1 to 6 only from registred LSMs who are registred under GST ACT (capable of raising Tax Invoice) are eligible for participation.
For Item Sr.No.7(a) experienced & reputed Manufacturers / experienced suppliers/ Authorized dealers who are registred under GST ACT(capable of raising Tax Invoice) are eligible for participation.
(b) First technical bids will be opened by the committee and price bid of only those parties will be opened whose technical bid are approved by the committee. The price bid of those tenderer who's technical bid are rejected will not be accsepted/entertained at any stage. The negotations shall be held with L-1 only if required.
Telegraphic/Postal and conditional tenders will not be accepted. If needed, the negotiations will be held only with the lowest tenderer (L-1). For E-tender/s please log on to www.hptenders.gov.in and for terms & conditions of E- tenders please visit on official website www.hpforestco.in

General Manager

HIMACHAL PRADESH STATE FOREST DEV. CORPORATION LTD
ROSIN & TURPENTINE FACTORY, BILASPUR (HP)

Terms and Conditions of the E-tenders under two cover system invited from Experienced & Reputed Manufacturers / Experienced suppliers/ Authorized dealers for the Supply of Mixing tank and Burner for the Phenyl processing to be opened on 14/05/2025 at 02:00 PM.

1. The E-tenders under two cover systems are invited for **Supply of Mixing tank and Burner for the Phenyl processing** on behalf of the HP State Forest Development Corporation Ltd. Shimla HP.
2. Tenderer/s should be registered under GST ACT and capable of raising Tax Invoive. Copy of GSTIN ID, PAN No. and Manufacturer/ Authorized dealer/experienced suppliers certificate und may be uploaded with other documents otherwise e-tender shall not be accepted.
3. The cost of tender form Rs. 1475 (Including GST)/- (One Thousnd Four Hundered and Seventy Five Only) shall be received through demand draft in favour of "HP STATE FOREST DEVLOPMENT CORPORATION LIMITED" payable at Bilaspur HP , the scanned copy of Demand draft be uploaded with E-tender. The tenders shall be opened on 14/05/2025 at 02:00 P M in the presence of tenderer/s who wish to remain present during this process. However, process of opening of tenders shall not be postponed or deferred for want of presence of tenderer/s. EMD of the tender shall be of Rs. 70,000/- (Seventy Thousand only) through Bank draft in favour of "HP STATE FOREST DEVLOPMENT CORPORATION LIMITED" payable at Bilaspur HP Tenderer/s shall have to upload scanned copy of DD of required amount of EMD and original DD shall have to be submitted in GM office and got the receipt issued on or before the date & time fixed for opening the tenders.
4. The original DD and copy of certificate of GSTIN registration shall have to be submitted by the e-tenderer in GM office on or before the date and time fixed for opening of tenders. Tenders received without paying of cost of tender form shall not be considered.
5. The E-tenders should be uploaded / received at tender website (www.hptenders.gov.in) on or before 14/05/2025 up to 01:00 PM.
6. The E- tender must be submitted in two separate covers, one containing the Technical Bid giving all technical details of Mixing Tank and Burner its efficacy, details / drawing /manual of Mixing Tank and Burner, its performance, running cost, technology to be used and details of after sales service including warranty must be filled in proforma no I (attached) and bidders declaration form in proforma II (attached) otherwise technical bid shall not be considered.

   The second cover should contain price item wise price bid and only total price bid shall be considered for one package of supply. No item wise evaluation will be done and only total price bid shall be considered for declaring L-1.

   First only technical bids will be opened by the committee and price bid of only those parties will be opened whose technical bid are approved by the committee. In case the finalization of technical bid is not completed on date 14/05/2025 the process shall be continued up to next working day. The price bid of those , tenderer who"s technical bid are rejected will not be accepted / entertained . The negotiation shall be held with L-1 only, if required.
7. Telegraphic/ conditional and incomplete tenders will not be accepted.
8. The successful tenderer will have to deposit Rs. 70,000/- as security and the EMD amount deposited by successful tenderer shall be adjusted / incorporated in the security . The security deposited will be released after one months on the successful completion of supply. The earnest money of unsuccessful tenderers will be returned to them after opening/finalization of the tender.In case of successful tenderer, the earnest money will be adjusted .
9. Rates offered in the tender will remain open for 20 days from the date of opening of the tenders.

10. The Supply of Mixing Tank and Burner have to be completed within 30 days from the date of placement of work order. After stipulated period of 30 days only 15 days extension can be granted by GM on account of unavoidable circumstances. If successful tenderer fails to supply Mixing Tank and Burner within above mentioned period then the tender will be cancelled and security amount shall be forfeited in favour of HPSFDC.
11. In case of any dispute, jurisdiction of court will be at Bilaspur Himachal Pradesh.
12. Basic Rates (Excluding Taxes) should be quoted in lump sump and should be written in word & numbers and should be F.O.R. R&T Factory, Bilaspur HP.
13. The invoice/bill of the Supply of Mixing Tank and Burner will be issued on GST Tax Invoice (for taking input tax Credit) under rule of GST ACT. The Bill be prepared in the Name of "Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Ltd R&T Factory Bilaspur. Our GSTIN No. 02AAACH4036L2ZV.
14. The undersigned or any competent authority of HP State Forest Development Corporation Ltd. Shimla, reserves the right to reject any or all the e- tenders without assigning any reason.
15. The supply of Mixing Tank and Burner as per approved Technical specifications mentioned in Technical Bid. Minor changes in the specifications can be made by mutual consent in writing.
16. The negotiation for the rates, if required, will be only with the lowest tenderer L-1
17. The Payment will be released after satisfactory report of both supplied items by the inspection committee as per technical speciation constituted by the undersigned for the purpose.

18. **The Supply of Items as per Technical Specification is given as:**

Sr. No.	Item Details	Qty	Specifications
1.	Mixing Tank	1 No.	**Material:** Stainless Steel **Type:** Vertical Cylindrical Tank (SS 304) with a Cylindrical bottom (SS 310) and Flat top hinged lid(SS 304) having clamps for secure closing. **Volume:** Working Volume 500 liters 80-85% of total capacity **Dimension:** Dia 3.5 feet Height: 3 feet Thickness: 5 mm **Agitator:** Top mounted mechanical paddle mixer, motor power rating 3 HP 3 Phase having variable speed control. **Temperature Gauge:** 0-300^{O} C **Outlet:** Bottom position, Size 2" ,Valve SS 304 Flange type. Surface Finish: Internal mirror polished External Matte Finish.
2.	Burner	1 No.	**Forced Draft Diesel Burner:** Suitable for Processing of Phenyl with capacity of 500 Liters. Material: Stainless Steel Head (SS 310), Atomized Nozzle having adjustable spray pattern w.r.t. Mixing Tank. Mounting: Fixed on a Stable Frame near the bottom of Mixing Tank. **Blower:** Centrifugal Blower forced draft, 3 Phase **Fuel Tank**: 40 Liters Capacity. Material and Shape: SS 304 and Cylindrical Shape with mounting Brackets Outlet: 1/2" BSP threaded connection with shut off valve.

19. TDS etc as per rules will be deducted from the bills of the tenderer.
20. The cost of testing of any material/ job will be borne by the tenderer and Test Certificate for the portion of Mixing Tanks have to be submitted with supply of items.
21. In the event of failure or default on the part of the firm in completion of the assigned and tendered work, the HP State Forest Development Corporation Ltd. through its General Manager shall be competent to cancel the tender and to take action for forfeiture of security money deposited by the tenderer.

General Manager

I/we, the undersigned have carefully read and understood all the Terms and Conditions of the E-tender and hereby convey my/our acceptance of the same.

Sr. No.	Name of the Firm	Signature

हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड , हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड रोजिन व तारपीन कारखाना बिलासपुर हि० प्र. 200 किलो ग्राम क्षमता के पी० जी० आई० शीट व टिन पतरा के ड्रम बनाने हेतु दिनांक 13.05.2025 को आमत्रिंत निबिदा की निबर्धन शर्ते |

1- ई–निबिदा हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड शिमला जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में आमंत्रित की जा रही है |

2- निबिदादाता बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए | निबिदा के साथ अपनी (GSTIN ID) की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा |

3- सफल निबिदादाता को बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवॉइस पर किये गये कार्य का बिल बना कर हर महीने देना होगा | अन्यथा बिल पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा |

4- निविदा प्रपत्र, के लिए लिए 1475/- रु. GST सहित की राशी का डिमांड ड्राफ्ट जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय होना चाहिए ई – निविदादाता को डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी तथा निबिदा खोलने की दिनांक व समय से पहले डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में जमा करवाना होगा | निबिदाएं जिनके लिए यह कीमत अदा नही की होगी , स्वीकार नहीं की जाएगी |

5- ई – निविदाएं टेंडर वेबसाइट पर दिंनाक 13.05.2025 को दोपहर बाद 1.00 बजे से पहले प्राप्त हो जानी चहिये 1

6- निबिदाएं दिनांक <u>13.05.2025</u> को सांयकाल 2.00 बजे खोली जाएगी निंविदादाता जो उपस्थित रहना चाहे उपस्थित हो सकते है |

7- निंबिदा के लिए धरोहर राशि मु० 100000/- रु० डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम जारी हुआ हो तथा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय हो निविदा के साथ देना होगा | ई – निविदादाता को ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी ई- निविदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना विलासपुर के कार्यलय में निबिदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय से पहले जमा करवाना होगा अन्यथा निबिदाएं अस्वीकार कर दी जाएगी |

8- अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद कर सकते है|

9- सफल बोलीदाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि मे समायोजित कर ली जाएगी और कार्य समाप्त होने तक कार्यालय मे जमा रहेगी तथा यह राशि टैंडर की अवधि समाप्त होने व संतोषजनक कार्यपूर्ति पर बिना ब्याज वापिस लौटा दी जाएगी | असफल निविदादाताओ की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जाएगी |

10- सशर्त एबं अधूरी वाली निबिदा स्वीकार नहीं की जाएगी | केवल अनुक्रियाशील निबिदाएं ही स्वीकार की जाएगी |

11- स्वीकृत दरो पर कार्य की अवधि 31.03.2025 तक होगी | अगर नई निविदा की स्वीकृति किसी कारणवश 31.03.2025 तक नहीं होती तो 31.03.2025 के बाद भी नई निविदा की स्वीकृति होने तक इन्ही स्वीकृत दरो पर कार्य करना होगा |

12- निविदादाता को कार्य का भुगतान एलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे अपना बैंक सेविंग खाता प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा |

13- कार्य की मात्र निम्नलिखित ड्रम बनाना अनुमानित है जो की कारखाना की मांग व कार्यानुसार घटाई या बड़ाई जा सकती है
पी ० जी ० आई ० शीट ड्रम = लगभग 10250 ड्रम
टिन पतरा ड्रम = लगभग 10250 ड्रम

14- निबिदादाता पी ० जी ० शीट ० के ड्रम बनाने हेतू व टिन पतरा के ड्रम बनाने हेतु अलग अलग दर निबिदा में देगा | दोनों प्रकार के ड्रमों को बनाने के लिए दी गई निविदा की दरों के जोड़ अनुसार जो निबिदा की कुल राशी न्यूनतम होगी उसे निम्नतम माना जायेगा |

15- सफल निबिदादाता को महाप्रबन्धक या मनोनित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशो का पालन करना होगा तथा आदेशो के अनुसार ही कार्य करना होगा ताकि मौजूदा कानून का पालन हो |

16- आयकर सेक्शन -194 के तहत हर बिल से काट लिया जाएगा |

17- ठेकेदार को अपने मजदूरो का बीमा किसी अपयुक्त कम्पनी से पालसी लेकर करवाना होगा | यह मौजूदा कानून के मुताबिक है |

18- ड्रम नमूनो के अनुसार ही बनाने होंगे ड्रमो के आकार महाप्रबंधक की अनुमति के विना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा | आकार मौके पर कारख़ाना के अन्दर देखे जा सकते है|

19- पी० जी० आई० शीट के ड्रमो के ऊपर लगने वाले ढक्कन पी०जी०आई० शीट के ही लगेंगे तथा टिन पतरा ड्रमों पर टिन पतरा के ढक्कन लगेंगे | इसलिए उसी के मुताबिक निविदा ली जाएगी|

20- ड्रमो की मात्रा वर्ष मे होने वाले कार्य पर निर्धारित होगी| इसके बारे मे कोई भी पक्की सीमा निर्धारित नहीं होगी | निबिदादाता को कारखाना की मांग अनुसार ड्रम बनाने होंगे |

21- अगर निविदादाता ड्रम बनाने मे असमर्थ रहता है और उसकी वजह से पक्का विरोजा कम निकलता है तो ठेकेदार से 2000/- प्रति चार्ज के हिसाब से हर्जाना वसूल किया जाएगा |

22- निविदादाता को पहले महीने में इतने ड्रम बनाने होंगे की काम शुरू करने के एक महीने के भीतर कम से कम पी० जी० आई० शीट के 250 ड्रम तथा टिन पतरा के भी 250 ड्रम भण्डार में जमा रहने चाहिए, भंडारण स्टोर में प्रतिदिन यह स्टाक शेष बना रहना जरूरी है |

23- अगर ठेकेदार ड्रम बनाने में असमर्थ रहता है तो जितने ड्रम भण्डार मे कम होंगे उसका हर्जाना उसकी स्वीकृत की गई एक ड्रम की दर से प्रति ड्रम के हिसाब से वसूल किया जाएगा |

24- यदि निविदादाता कार्य को करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा कारवाई गई धरोहर राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी |

25- किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबन्ध निर्देशक हि०प्र० राज्य निर्देशक हि०प्र० राज्य वन विकास निगम सीमित शिमला का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा |

26- किसी प्रकार का बिवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार बिलासपुर हिं०प्र०) होगा |

27- निविदादाता को जिला रोजगार अधिकारी से आपने मजदूरो के परिचय पत्र लेने होंगे |

28- निविदादाता को अपने मजदूरो के वेतन की अदायगी प्रतिमाह महाप्रबंधक द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी के समक्ष करनी होगी |

29- निविदा की स्वीकृति मिलने के पाँच दिनों के भीतर निविदादाता को इस कार्यालय मे अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के बाद ही सफल निविदाता को कार्य आबंटित किया जाएगा |

30- सफल निबिदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, समय अनुसार नियमों के मुताबिक सफल निबिदादाता को स्वयं देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा |

31- निविदादाता को अपने सभी मजदूरो के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरो के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

32- लेबर एक्ट 1970 के तहत ठेकेदार को संबन्धित अधिकारी से मजदूरो को पंजीकृत करवाना होगा यह कार्य उसे कारख़ाना मे काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर करवाना होगा तथा कार्य से संबन्धित कोई भी रिटर्न समय पर देनी होगी |

33- अगर सफल निबिदादाता का अपना भविष्य निधि कोड नंबर नहीं होगा तो उसे वर्क आर्डर मिलने कि तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेना होगा तथा उसकी सुचना प्रति सहित कार्यालय में देनी होगी तथा अपने सभी मजदूरों की ई०पी०एफ० अपने हिस्से के साथ सभी रिटर्नों सहित ई०पी०एफ० अथौरिटी के पास नियमानुसार हर माह जमा करवानी होगी तथा इस कार्यालय को भी एक प्रति सूचनार्थ देनी होगी |

34- निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए | निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए | निविदादाता को पैन (PAN NO.) संबन्धित विभाग से लेना होगा |

35- यदि निविदा में न्यूनतम निविदादाता की दरे उचित नहीं होगी तो केवल समझौता वार्ता न्यूनतम निविदा से ही की जाएगी |

37 सफल निबिदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार सफल निबिदादाता को देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा |

38 सफल निबिदादाता को फेक्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट के तहत सुरक्षा से संबंधित जरूरी उपकरण व वर्दी, साबुन, सरसों तेल, इत्यादी व अन्य आवश्यक सुबिधायें जो देय बनती है, अपने मजदूरों को उपलब्द करबानी होगी |

39 अगर सफल निविदादाता प्रवासी मज़दूरों को काम पर लगायेगा तो उन सभी प्रवासी मज़दूरों का सत्यापन पुलिस से करवाना पड़ेगा तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में देनी होगी | अगर

सफल निविदादाता सत्यापन करवाने में असमर्थ रहता है तो प्रवासी मज़दूरों को कारखाना में काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी |

40 निबिदा वंद लिफाफे मैं दी जाए तथा लिफाफे पर ड्रम बनाने हेतु निबिदा लिखा होना चहिये |

41 मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां, सफल निब्रिदादाता की ही रहेगी |

42 अगर सफल निबिदादाता , निबिदा की उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा करवाई गई प्रतिभूति राशी हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी |

महाप्रबन्धक

मैंने हमने सभी शर्तो को /ध्यान पूर्वक पढ़ हमे मंजूर है/ सुन लिया है व मुझे / हमे मंजूर है |

क्रम सं०	नाम व पता	हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बिरोजा व तारपीन कारख़ाना बिलासपुर (हि०प्र०)

फीडिंग ऑफ रेजीन इन रेजीन पिट इसुड फ्रॉम रेजिन स्टोर व रेजिन सक्की एनालिसिस , लिफ्टिंग एंड हीटिंग इन मिक्स बाट एंड लिफ्टिंग टू रेस्ट वाट कम्प्लीट विद फ्लोर बासींग, वाशिंग चैम्बर में टिनों की वाशिंग व क्लीनिंग तथा रेजिन के खाली टीनों को निर्धारित स्थान पर फेंकने , सक्की को गर्म करना, रेजिन इकठा करना, सक्की को रेडे मैं डालकर सक्की सेक्शन मे ले जाकर वजन करना तथा डंपिंग साइड पर ले जाना, रेजिन स्टोर , ट्राली ट्रैक ,रेजिन पिट, फर्श, मिक्स वाट नालियों व हौदियों की साफ सफाई इत्यादि के कार्य के करी हेतु दिनांक 13.05.2025 को आमंत्रित निविदा की निबर्धन शर्तें :-

1- ई–निबिदा हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड शिमला की ओर से आमंत्रित की जा रही है |

2- निबिदा में दिया जाने वाला यह कारखाना का मुख्य कार्य है तथा निविदा देने से पहले निविदादाता को निबिदा की सभी शर्तों का ध्यान पूर्वक पूर्ण जानकारी कर लेना जरूरी है |

3- निबिदादाता वन निगम मे बतौर लेबर सप्लाई मेट पंजीकृत होना चाहिए व बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत भी पंजीकृत होना चाहिए | निबिदा के साथ अपनी (GSTN ID) की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा | सफल निबिदादाता को बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवॉइस पर किये गये कार्य का बिल बना कर हर महीने देना होगा| अन्यथा बिल पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा | लेबर सप्लाई मेट पंजीकरण की वैध प्रति निबिदा के साथ देनी होगी |

4- निबिदा प्रपत्र के लिए 1475/- रु. GST सहित की राशी का बैंक ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय होना चाहिए | ई – निबिदादाता को डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी तथा निबिदा खोलने की दिनांक व समय से पहले डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में जमा करवाना होगा | निबिदाएं जिनके लिए यह कीमत अदा नही की होगी स्वीकार नहीं की जाएगी|

5- ई–निबिदाएं टेंडर वेबसाइट पर दिंनाक 13.05.2025 को दोपहर बाद 1.00 बजे से पहले प्राप्त हो जानी चहिये |

6- निबिदाएं दिनांक 13.05.2025 को सांयकाल 2.00 बजे खोली जाएगी निबिदादाता जो उपस्थित रहना चाहे उपस्थित हो सकते है |

7- निबिदा के लिए धरोहर राशि मु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हज़ार रु.) डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम जारी हुआ हो या एफ डी आर प्लेज की हुई हो तथा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय हो, देना होगा | ई–निबिदादाता को ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी ई- निबिदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में निविदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय से पहले जमा

करवाना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। सफल निविदादाता की यह धरोहर राशी कार्यलय में प्रतिभूति राशी के रूप में जमा रहेगी तथा निविदा के तमाम कार्य अबधि के दौरान निबिदा की शर्तों के अनुमार संतोषजनक रूप से करने पर बापिस की जाएगी।

8- निबिदादाता को दरें प्रति टीन के हिसाब से देनी होगी जो की केवल बन कार्य मण्डलों से प्राप्त रेजिन टीनों व उनमें प्राप्त रेजिन की मात्रा (प्रति टिन 18 किलो लगभग) के लिए मान्य होगी व तदानुसार ही अदायगी की जाएगी अगर रेजिन टिनों से रेजिन स्टोर व कारखाना के अंदर या किसी और अन्य जगह पर स्टोर रहने की बजह से लीकेज होती है तो उस लीकेज को भी सफल निबिदादाता को ही इकठा करना होगा जिसके लिए भी पर्याप्त मजदुर देने होंगे जिसके लिए कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं की जाएगी तथा इकठी की गई लीकेज को भी सफल निबिदादाता को ही फीड करना होगा जिसके लिए भी अतिरिक्त से कोई अदायगी नहीं की जाएगी क्योंकि कारखाना में रेजिन का उत्पादन नहीं होता है तथा यह मात्रा बन कार्य मंडलों से प्राप्त रेजिन टिनों में ही शामिल है | यदि न्यूनतम निविदादाता की दरे उचित नहीं होगी तो समझौता वार्ता केवल न्यूनतम निविदादाता से ही की जाएगी |

9- अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद कर सकते है। सशर्त एबं अधूरी वाली निबिदा स्वीकार नहीं की जाएगी | केवल अनुक्रियाशील निबिदाएं ही स्वीकार की जाएगी |

10- सफल निविदादाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में परिवर्तन कर दी जाएगी और समाप्त होने तक कार्यालय मे जमा रहेगी तथा यह राशि टैंडर की अवधि समाप्त होने व संतोष कार्यापूर्ति पर बिना ब्याज वापिस लौटा दी जाएगी | असफल निविदादाताओ की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जाएगी |

11-स्वीकृत दरो पर कार्य करने की अवधि 31.03.2026 तक होगी | अगर नई निविदा की स्वीकृति किसी कारणवश 31.03.2026 तक नहीं होती है तो 31.03.2026 के बाद भी नई निविदा की स्वीकृति होने तक इन्ही स्वीकृत दरो पर कार्य करना होगा | सफल निबिदादाता द्वारा निबिदा के नियम व शर्तो के पालन न करने के कारण या बिशेष परिस्थितीयों के कारण या कारखाना मैं रिक्त पदों को भरने के कारण, दिये गए कार्य को अवधि समाप्त होने से पहले भी रद्द किया जा सकता है |

12-निविदादाता को कार्य का भुगतान एलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा कियां जाएगा जिसके लिए उसे अपना बैंक सेविंग खाता प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा |

13- सफल निविदादाता को निविदा कार्य की अवधि के दौरान तीन शिफ्टों के लिए प्रतिदिन कम से कम 1600 रेजीन टीन / 4 रेस्ट बाट लगातार दो दिन भरने होंगे व तीसरे दिन 2000 रेजिन के टिन / 5 रेस्ट वाट भरने होंगे तथा दो शिफ्टों में उत्पादन के लिए प्रतिदिन कम से कम 1200 रेजिन टीनों के फीडिंग करनी होगी | कारखाना की मांग अनुसार यह कम या ज्यादा भी करवाई जा सकती है | बर्ष 2025-26 में अनुमानित तीन लाख रेजिन टिनों की फीडिंग करनी होगी कार्य की मात्रा अनुमानित है जो कि घट या बढ़ सकती है | किसी कारणबश रेजिन फीडिंग का कार्य कम या ज्यादा भी करवाया जा सकता है | रेजिन की अगर कम फीडिंग करवाई जाती है तो इसके लिए ठेकेदार को कोई क्लेम या मुआबजा नहीं दिया जायेगा |

14-निविदा के तहत दिया जाने वाला हर कार्य सफल निबिदादाता को निर्धारित स्टीम सड्युल अनुसार करना होगा |

15- सफल निविदादाता अपने सभी मजदूरों की सूचि उनके गृह पते, आयु व पहचान प्रमाण पत्र के नम्बरों सहित स्वयम द्वारा सत्यापित करने के उपरांत कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय में देना होगा उसके

उपरांत ही कारखाना में काम करने की अनुमति दी जाएगी | मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी | अगर सफल निबिदादाता कार्य के लिए प्रवासी मज़दूरों को उपलब्द करवाएगा तो प्रवासी मज़दूरों का सत्यापन पुलिस से करवाना पड़ेगा तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में देनी होगी उसके उपरांत ही प्रवासी मज़दूरों को कारखाना में काम करने की अनुमति दी जायेगी |

16-सफल निबिदादाता को महाप्रबंधक या मनोनित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशों के अनुसार ही कार्य करना होगा |

17-यदि सफल निबिदादाता किसी कार्य को करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा कारवाई गई धरोहर राशि वन निगम के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी |

18-आयकर सेक्शन -194 के तहत हर बिल से काट लिया जाएगा |

19-ठेकेदार को अपने मजदूरो का बीमा किसी अपयुक्त कम्पनी से पालसी लेकर करवाना होगा | यह मौजूदा कानून के मुताबिक है |

20-किसी प्रकार का बिवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्रधिकार बिलासपुर हि ०प्र० होगा |

21- किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबन्ध निर्देशक हि०प्र० राज्य निर्देशक हि०प्र० राज्य वन विकास निगम सीमित शिमला का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा |

22- अगर कारखाना में तीन शिफ्टों में उत्पादन किया जाना हो तो सफल निबिदादाता को केवल रेजिन फीडिंग के कार्य पर कम से कम 20 मजदूर रखने होंगे अगर दो शिफ्टों में उत्पादन हो तो कम से कम 16 मजदुर कार्य पर रखने होंगे तथा कम से कम दो पिट प्रतिदिन हर कार्यदिवस को सुबह 11 बजे तक रेजिन से भरने होंगे तथा उसके बाद दो या तीन पिट शाम 05.30 बजे तक भरने होंगे अगर सफल निबिदादाता इस क्रम अनुसार पिट भर कर उपलब्द करवाने में असफल रहता है तो कम उपलब्द करवाये रेजिन के पिटों के लिए प्रति पिट प्रतिदिन 3000/- रूपये के हिसाब से माह के अंत में पेनल्टी लगाई जाएगी व दी जाने वाली किसी भी राशी से बसूल की जाएगी | सफल निबिदादाता को कम से कम दो मिक्स वाट रेजिन पहली शिफ्ट में व दो मिक्स वाट रेजिन दूसरी शिफ्ट में रेस्ट वाट्स में चढ़ाने होंगे| सफल निबिदादाता को अपने सभी मजदूरों के परिचय पत्र जिला रोजगार अधिकारी से लेने होंगे व हर एक मजदुर के परिचय पत्र की प्रति कार्यालय में देनी होगी अन्यथा कारखाना के अंदर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी | अगर सफल निबिदादाता कम मजदुर उपलब्द करवाता है तो कम मजदूरों के लिए 500/- रु प्रति मजदूर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी व सफल निबिदादाता के संबधित मासिक बिल से राशी काट ली जाएगी |

23-अगर रेजिन पिट के फर्श , ट्राली , टिन वाशिंग , नालियों व हौदियों इत्यादि की साफ सफाई से इकठा किये रेजिन को सफल निबिदादाता समयानुसार / आदेशानुसार फीड नहीं करता है और रेजिन कठोर हो जाता है तथा प्रोसेसिंग के काबिल नहीं रहता है तो उस रेजिन की मात्रा के लिए , रेजिन का जो मूल्य निर्धारित किया होगा उस अनुसार पेनल्टी लगाई जाएगी तथा सफल निबिदादाता को देय किसी भी राशी से काट ली जाएगी |

24-सफल निबिदादाता द्वारा टीनों को रेजीन यार्ड में ट्रौली लोड करके रेजीन पिट के पास उतार कर टीनों को उपर से काट कर रेजीन पिट में डालना होगा रेजिन पिट के समीप सफाई की वाशिंग ,क्लीनिंग /करनी होगी, खाली टीनों की सफाई वाशिंग चैम्बर में करनी होगी, वाशिंग ट्राली से रेजिन को टीनों में भर कर रखना होगा तथा बिरोजा रहित टीनों को बाहर बताए स्थान पर रखना होगा, मिक्स वाट में रेजीन

चढाना तथा गर्म करना व ग्रेविटी फिल्टरों में फिल्टर करना ,रेजीन रेस्ट वाट्स की सफाई आदि सभी कार्य करने होंगे| यह कार्य सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक पूर्ण करना होगा | रेजिन रेस्ट वाट तक रेजिन भरने / पंहुचाने के सभी कार्य जिसमें हर साफ सफाई , रेजिन डर्टी / वाशिंग ट्राली डर्टी की ड्रेनिंग या कोई और कार्य या साफ सफाई इत्यादि के सभी कार्य ठेकेदार को ही करने होंगे | नालियों इत्यादि की सफाई भी ठेकदार को रोजाना करनी होगी | साफ सफाई के लिए हर कार्यदिवस को पूर्ण समय के लिए दो मजदुर उपलब्द करवाने होंगे जो की रेजिन फीडिंग के लिए उपलंब्द करवाए मजदूरों से अतिरिक्त होंगे तथा मिक्स वाट , रेजिन पिट , नालियों , हौदियों व अन्य फर्श इत्यादि की साफ सफाई के लिए होंगे | रेजिन टिनों की सफाई वाशिंग चैम्बर में की जाएगी जिसके लिए तीन मजदुर प्रतिदिन कार्य के पूर्ण समय के लिए उपलब्द करवाने होंगे जो खाली टिनों की वाशिंग चैम्बर में सफाई करेंगे तथा सफाई उपरांत रेजिन रहित टिनों को निर्धारित स्थान पर फेंकेंगे तथा वाशिंग ट्रोली या फर्श या नाली से रेजिन को इकठा करके टिनों में भर कर निर्धारित स्थान पर रखना होगा |अगर साफ सफाई व वाशिंग चैम्बर के लिए प्रतिदिन हर कार्यदिवस में मजदूर उपरोक्तानुसार उपलब्द नहीं करवाए जायेंगे तो 500/- रूपये प्रति मजदुर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी |

25-ठेकेदार को कच्चे बिरोजे के टिन काटने सम्बन्धी औज़ार स्वयं उपलव्ध करने होंगे |

26-ठेकेदार को अपने मजदूरो के वेतन की अदायगी प्रति माह समयनुसार , कारख़ाना प्रबन्धक या उन द्वारा अधिकृत कर्मचारी के समक्ष करनी होगी, ताकि मौजूदा कानून का पालन हो |

27- निविदा की स्वीकृति मिलने के पाँच दिनो के भीतर निविदादाता को इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि हि०प्र० स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के बाद ही सफल निविदाता को कार्य आबंटित किया जाएगा |

28- सफल निबिदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, समय अनुसार सरकारी नियमों के मुताबिक सफल निबिदादाता को स्वयं देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा |

29-ठेकेदार को अपने सभी मजदूरो के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरो के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रवंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

30-लेवर एक्ट 1970 के तहत ठेकेदार को संबन्धित अधिकारी से मजदूरो को पंजीकृत करवाना होगा यह कार्य उसे कारख़ाना मे काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर करवाना होगा तथा कार्य से संबन्धित कोई भी रिटर्न समय पर देनी होगी |

31- अगर सफल निबिदादाता का अपना भविष्य निधि कोड नंबर नहीं होगा तो उसे वर्क आर्डर मिलने की तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेना होगा तथा उसकी सुचना प्रति सहित कार्यालय में देनी होगी तथा अपने सभी मजदूरों की ई०पी०एफ० अपने हिस्से के साथ सभी रिटर्नों सहित ई०पी०एफ० अथौरिटी के पास नियमानुसार हर माह जमा करवानी होगी तथा कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय को भी एक प्रति सूचनार्थ देनी होगी उसके उपरान्त ही स्बंधित माह के बिल की अदयगी की जाएगी |

32-रेजिन सक्की अनुभाग में रेजिन सक्की बिस्लेपण के लिए भी रेजिन टिन सफल निबिदादाता को ही डालने होंगे इसके लिए सफल निबिदादाता को दो मजदुर प्रतिदिन रेजिन सक्की बिस्लेषण के लिए देने होंगे जो की

रेजिन फीडिंग, साफ सफाई व वार्मिंग चैम्बर के लिए उपलब्ध करवाए मजदूरों के अतिरिक्त होंगे। विस्लेषण के लिए प्रयुक्त दोनों केटलों की सफाई, रेजिन सक्षी अनुभाग में फ्लोर की सफाई व निचे बिखरे रेजिन को इकठा करने का कार्य भी सफल निबिदादाता को ही करना होगा। अगर सफल निबिदादाता रेजिन सक्षी विस्लेषण के लिए मजदुर उपलब्द नहीं करवाता है या कम उपलब्द करवाता है तो 500/- रु प्रति दिन कम मजदुर के लिए पेनल्टी लगाई जाएगी व बिल से काट ली जाएगी।

33-अगर ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा काम पर लगाये मजदूरों की बजह / कारण से रेजिन, तारपीन तेल या अन्य किसी समान ,वस्तु या उत्पाद का नुकशान या वेस्टेज होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार से उसके निर्धारित मूल्य जो प्रभावी होगा के अनुसार की जाएगी तथा ठेकेदार को देय किसी भी राशी से की जा सकती है।

34- रेजिन स्टोर के बाहर से लेकर रेजिन पिट के फ्लोर तक जिसमें ट्राली ट्रैक व टर्निंग ट्रैक भी समिलित है पर जो भी रेजिन बिखरेगा उसे प्रतिदिन इकठा करके टीनों में भरना होगा तथा डर्टी रेजिन के साथ फीड करना होगा। दोनों स्टीम चैम्बर की सफाई भी सफल निबिदादाता को ही करनी होगी।

35-बिरोजा रहित टिन ठेकेदार को बाहर बताये हुए स्थान / जगह पर फेंकने होंगे अगर ठेकेदार खाली टीनों को अपनी सहूलियत अनुसार पाइप की लाइन के साथ साथ फेंकता है और वहां टीनों का ढेर इकठा होता है तथा आगे जगह खाली रहती है और उत्पादन में बाधा आती है तो इन टीनों को वहां से आगे ठेकेदार को अपने स्तर पर फेंकना होगा जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त बिल नहीं दिया जायेगा। अगर ठेकेदार टीनों को आगे फेंकने का कार्य नहीं करता है तो यह कार्य बाहर से मजदूर बुलाकर करवाया जायेगा तथा कार्य के विरुद्ध जो राशी वन निगम द्वारा दी जाएगी उसकी पूर्ति ठेकेदार को देय किसी भी राशी से काट कर की जाएगी।

36-सफल निविदादाता को रेस्ट वाट्स नम्बर आठ की डर्टी को हौदियों से टीनों में भरना होगा तथा प्रोडक्शन सेक्शन के बाहर फोरमेन/ सुपरवाइजर व अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेशानुसार रखना होगा तथा उसमें से रेजिन छांटकर रेजीन पिट में डालना, मिक्स वाट में रेजीन चढाना, गर्म करना व ग्रेविटी फिल्टरों में फिल्टर करना ,रेजीन रेस्ट वाट्स मैं चढाना होगा जिसके लिए उसे इस निविदा की स्वीकृत दर का पचास प्रतिशत (यानि आधा रेट) के अनुसार अलग से भुगतान किया जायेगा, लेकिन देय राशी का भुगतान पिट मैं भरान की मात्रा के अनुसार किया जायेगा ,पुरे पिट में 400 टीनों का भरान आता है व प्रति टिन का भरान लगभग 17 किलो ग्राम माना जायेगा। हरं प्रकार की रेजिन डर्टी ठेकेदार को ही टीनों में इकठी करनी होगी व निर्देशानुसार इसकी फीडिंग भी करनी होगी।

37-रेजीन पिट में रेजीन ना डालने के कारण उत्पादन में बाधा आती है तो ठेकेदार को पांच रुपये प्रति टीन पहली बार कम डाले गए टीनों के बदले मुआवजा अदा करना होगा। अगर सफल निविदादाता कारखाना की मांग अनुसार कार्य नहीं कर पाया तथा दूसरी बार पुनः दोहराता है तो रेजिन फीडिंग के लिए प्रति टिन जो दर स्वीकार होगी, उसी दर अनुसार, कम की गई रेजिन की फीडिंग के लिए प्रति टिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी की राशी, निबिदादाता को देय किसी भी राशी से की जा सकती है। अगर निविदादाता कारखाना की मांग अनुसार फीडिंग नहीं कर पाया व कारखाना के उत्पादन में तीन वार से ज्यादा बार बाधा आती है तो वर्क अवार्ड कैंसिल कर दिया जायेगा व प्रतिभूति राशी रू. 150000/- जो निविदा के बिरुद्ध जमा होगी उसे वन निगम के लिए जब्त कर लिया जाएगा।

38-अगर सफल निबिदादाता, निबिदा की शर्तो के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा की गई धरोहर राशी निगम के खाते में जब्त कर ली जाएगी।

39-फीडिंग ऑफ रेजीन का कार्य रेजिन की उपलब्धता तथा जरूरत के अनुसार करबाया जाएगा | कार्य की मात्रा, रेजिन टिनों का भरान आदि कारखाना में खराबी या मार्किट मुनासिब न होने पर या किसी अन्य कारण, शून्य या बहुत कम की जा सकती है, जिसके लिये वन निगम किसी भी तरह जिमेबार नहीं होगा व सफल निबिदादाता इसके लिए किसी भी तरह का क्लेम करने का अधिकारी नहीं होगा |

40-टीनों से रेजिन की पिट मैं फीडिंग के दौरान या सक्की बिस्लेषण के दौरान जो रेजिन फ्लोर पर विखरेगा उस रेजीन (फ्लोर वाशिंग डर्टी) को और टीन वाशिंग से इकठा किया रेजिन टीनों में जमा करके फोरमेन/ सुपरवाइजर द्वारा बताए स्थान पर आदेशानुसार रखना होगा तथा इस फ्लोर वाशिंग व टीन वाशिंग डर्टी को पिट / रेस्ट वाट्स में भरना होगा जिसके लिए सफल निविदादाता को अलग से कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा ,डर्टी हर माह के अंतिम सप्ताह ,या जनरल मेनेजर या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी के आदेशानुसार डालनी होगी |

41- सफल निविदादाता को फेक्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट के तहत सुरक्षा से संबंधित जरूरी उपकरण जैसे मास्क ; वर्किंग ड्रेस (वर्दी), साबुन, सरसों तेल इत्यादी व मेडिकल फर्स्ट ऐड के तहत आवश्यक सुरक्षा सामान का स्टॉक हर समय रखना पड़ेगा तथा अन्य सुबिधायें जो देय बनती है, अपने मजदूरों को अपने खर्चे पर उपलब्द करबानी होगी |

42- उत्पादन शाखा में व रेजिन सक्की अनुभाग में रेजिन सक्की बिस्लेषण के दौरान जो भी शक्की निकलेगी उसे सक्की फ़िल्टर मैं गर्म करना, रेडे मैं डालना, सक्की सेक्शन में ले जाकर तोलना तथा सक्की को डंपिंग साईट में डालने का कार्य भी सफल निविदादाता को करना होगा | फ़िल्टर में सक्की गर्म करने से जो रेजिन फ़िल्टर होकर निकलेगा उस रेजिन को मिक्स वाट न. 3 में प्रोसेसिंग के लिए सफल निबिदादाता को डालना होगा |

43. अगर सफल निबिदादाता , निबिदा की उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा करवाई गई प्रतिभूति राशी हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी |

महाप्रबन्धक

मैंने हमने सभी शर्तों को /ध्यान पूर्वक पढ़ है हमे मंजूर/ सुन लिया है व मुझे / हमे मंजूर है

क्रम सं०	नाम व पता	हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बिरोजा व तारपीन कारख़ाना बिलासपुर पक्के बिरोजे के ड्रमो को लोड करने हेतु दिनांक 13.05.2025 को आमंत्रित की गई ई निविदा की निवर्घन शर्ते :

1. यह ई – निबिदा हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में आमंत्रित की जा रही है |
2. निबिदादाता बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए 1 निबिदा के साथ अपनी (GSTN ID) की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा | सफल निबिदादाता को बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवॉइस पर किये गये कार्य का बिल बना कर हर महीने देना होगा | अन्यथा बिल पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा |
3. निबिदा प्रपत्र, के लिए 708/- रु GST सहित की राशि का डिमांड ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय होना चाहिए | ई – निबिदादाता को डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी तथा निबिदा खोलने की दिनांक व समय से पहले डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में जमा करवाना होगा 1 निविदाएं जिनके लिए यह कीमत अदा नही की होगी , स्वीकार नहीं की जाएगी 1
4. ई – निविदाएं टेंडर वेबसाइट पर दिंनाक 13.05.2025 को दोपहर बाद 1:00 बजे से पहले प्राप्त हो जानी चहिये 1
5. निबिदाएं दिनांक 13.05.2025 को सांयकाल 2.00 बजे खोली जायेगी 1 निबिदादाता जो उपस्थित रहना चाहे वह निर्धारित समय व दिनांक स्थान पर उपस्थित हो सकते है |
6. निबिदा के लिए धरोहर राशि मु० 26000/-रु० डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम जारी हुआ हो तथा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय हो निबिदा के साथ देना होगा | ई – निबिदादाता को ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी ई- निबिदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में निबिदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय से पहले जमा करवाना होगा अन्यथा निबिदाएं अस्वीकार कर दी जाएगी |
7. निविदा की दरें प्रति ड्रम के हिसाब से दें, सशर्त एबं अधूरी वाली निबिदा स्वीकार नहीं की जाएगी | केवल अनुक्रियाशील निबिदाएं ही स्वीकार की जाएगी |
8. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि मे समायोजित कर ली जाएगी और कार्य समाप्त होने तक कार्यालय मे जमा रहेगी तथा यह राशि टैंडर की अवधि समाप्त होने व संतोषजनक कार्यपूर्ति पर विना ब्याज वापिस लौटा दी जाएगी | असफल निविदादाताओ की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जाएगी |

9. स्वीकृत दरो पर कार्य की अवधि 31.03.2026 तक होगी | अगर नई निविदा की स्वीकृति किसी कारणवश 31.03.2026 तक नहीं होती तो 31.03.2026 के बाद भी नई निविदा की स्वीकृति होने तक इन्ही स्वीकृत दरो पर कार्य करना होगा |

10. निविदादाता को कार्य का भुगतान एलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे अपना बैंक सेविंग खाता प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा |

11. अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद कर सकते है |

12. कार्य की मात्रा 20500 ड्रम अनुमानित है जो कार्यानुसार घटाई या बढ़ाई ज़ा सकती है|

13. सफल निबिदादाता को महाप्रबन्धक या मनोनित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशो का पालन करना होगा तथा आदेशो के अनुसार ही कार्य करना होगा. ताकि मौजूदा कानून का पालन हो |

14. आयकर सेक्शन -194 के तहत हर बिल से काट लिया जाएगा |

15. निविदादाता को अपने मजदूरो का बीमा किसी अपयुक्त कम्पनी से पालसी लेकर करवाना होगा | यह मौजूदा कानून के मुताविक है |

16. यदि सफल निविदादाता किसी कार्य को करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा कारवाई गई धरोहर राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा उस कार्य को करवाने के लिए दूसरे ठेकेदार/संस्था को जो अधिक धन देना पड़ेगा वह ठेकेदार से उसकी प्रतिभूति राशि या देय राशि से काट लिया जाएगा |

17. किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबन्ध निर्देशक हि०प्र० राज्य निर्देशक हि०प्र० राज्य वन विकास निगम सीमित शिमला का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा |

18. किसी प्रकार का बिवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्रधिकार बिलासपुर हि ०प्र० होगा |

19. ठेकेदार को जिला रोजगार अधिकारी से अपने मजदूरो का परिचय पत्र लेने होंगे |

20. ठेकेदार को अपने मजदूरो के वेतन की अदायगी प्रति माह करनी होगी | जिसकी एक प्रति कार्यालय मे प्रेषित करनी होगी |

21. निविदा की स्वीकृति मिलने के पाँच दिनों के भीतर निविदादाता को इस कार्यालय मे अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के बाद ही सफल निविदाता को कार्य आबंटित किया ज़ाएगा |

22. सफल निबिदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, समय अनुसार सरकारी नियमों के मुताबिक़ सफल निबिदादाता को स्वयं देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा 1

23. ठेकेदार को अपने सभी मजदूरो के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरो के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

24. लेबर एक्ट 1970 के तहत ठेकेदार को संबन्धित अधिकारी से मजदूरो को पंजीकृत करवाना होगा यह कार्य उसे कारख़ाना मे काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर करवाना होगा तथा कार्य से संबन्धित कोई भी रिटर्न समय पर देनी होगी।

25. अगर सफल निबिदादाता का अपना भविष्य निधि कोड नंबर नहीं होगा तो उसे वर्क आर्डर मिलने कि तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेना होगा तथा उसकी सुचना प्रति सहित कार्यालय में देनी होगी तथा अपने सभी मजदूरों की ई०पी०एफ० अपने हिस्से के साथ सभी रिटर्नों सहित ई०पी०एफ० अथौरिटी के पास नियमानुसार हर माह जमा करवानी होगी तथा कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय को भी एक प्रति सूचनार्थ देनी होगी उसके उपरान्त ही संबन्धित माह के बिल की अदायगी की जाए।

26. निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए। निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए। निविदादाता को पेन (PAN NO) संबन्धित विभाग से लेना होगा।

27. ड्रमो को रखे हुए स्थान पर सुरक्षित तरीके से लादना व ट्रको के अन्दर सही ढंग से स्टैक करना होगा। अगर लदाई करते समय ठेकेदार व उसके मजदूरो की गलती से किसी ड्रम का नुकसान होता है तो उसका हर्जाना ठेकेदार से वसूल किया जाएगा। लदान की मात्रा मुख्य कार्यालय से प्राप्त आदेशों पर निर्धारित होगी।

28. सफल निविदादाता से व उसके मालिक से डाला/ पैसा नहीं लेगा। इस सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी के पास कोई शिकायत आएगी तो टेंडर रद कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति राशि वन निगम के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।

29. अगर निविदादाता व उसके मजदूर ट्रक लोडिंग समय पर नहीं करेगा तो प्रति ट्रक 1000/- रु० प्रतिदिन के हिसाब से हरजाने के रूप में काट लिया जाएगा।

30. यदि निविदा में न्यूनतम निविदादाता की दरे उचित नहीं होगी तो केवल समझौता वार्ता न्यूनतम निविदा से ही की जाएगी।

31. सफल निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार सफल निबिदादाता को देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा 1

32. सफल निविदादाता को फेक्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट के तहत सुरक्षा से संबंधित जरूरी उपकरण व वर्दी, साबुन, सरसों तेल, इत्यादी व अन्य आवश्यक सुबिधायें जो देय बनती है, अपने मजदूरों को उपलब्द करवानी पड़ेगी।

33. सफल निबिदादाता अपने सभी मजदूरों की सूचि उनके गृह पते, आयु व पह्चान प्रमाण पत्र के नम्बरों सहित स्वयम द्वारा सत्यापित करने के उपरांत कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय में देना होगा उसके उपरांत ही कारखाना में काम करने की अनुमति दी जाएगी। मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी। अगर सफल निबिदादाता कार्य के लिए प्रवासी मज़दूरों को उपलब्द करवाएगा तो प्रवासी मज़दूरों का सत्यापन पुलिस से करवाना पड़ेगा तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में देनी होगी उसके उपरांत ही प्रवासी मज़दूरों को कारखाना में काम करने की अनुमति दी जायेगी।

34. मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां , सफल निबिदादाता की ही रहेगी 1

35. अगर सफल निबिदादाता , निबिदा की उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा करवाई गई प्रतिभूति राशी हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी |

महाप्रबन्धक

मैंने हमने सभी शर्तों को /ध्यान पूर्वक पढ़ हमे मंजूर है/ सुन लिया है व मुझे / हमे मंजूर है

क्रम सं०   नाम व पता   हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बिरोजा व तारपीन कारख़ाना बिलासपुर

रोजीन के ड्रमों को उत्पादन अनुभाग से डिस्पेच सेक्शन तक लुद्का कर ले जाना ग्रेड अनुसार लगाना बजन करना और डिस्पेच सेक्शन के अन्य कार्य हेतु दिनांक 13.05.2025 को आमंत्रित <u>निबिदा की निबर्धन शर्ते :-</u>

1. यह ई – निबिदा हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में आमंत्रित की जा रही है |
2. निबिदादाता बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए 1 निबिदा के साथ अपनी (GSTN ID) की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा1
3. सफल निबिदादाता को बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवॉइस पर किये गये कार्य का बिल बना कर हर महीने देना होगा 1 अन्यथा बिल पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा1
4. निबिदा प्रपत्र, के लिए 708/- रु GST सहित की राशि का डिमांड ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय होना चाहिए | ई – निबिदादाता को डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी तथा निबिदा खोलने की दिनांक व समय से पहले डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में जमा करवाना होगा 1 निविदाएं जिनके लिए यह कीमत अदा नही की होगी , स्वीकार नहीं की जाएगी 1
5. ई – निविदाएं टेंडर वेबसाइट पर दिंनाक 13.05.2025 को दोपहर बाद 1.00 बजे से पहले प्राप्त हो जानी चाहीये 1
6. निबिदाएं दिनांक 13.05.2025 को सांयकाल 2.00 बजे निबिदादाता जो उपस्थित रहना चाहेंगे की उपस्थिती में खोली जायेगी | हालाँकि निबिदाएं खोलने का समय , निबिदादाताओं की उपस्थिती सुनिश्चित करने के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा 1
7. निबिदा के लिए धरोहर राशि मु० 75000/-रु० डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम जारी हुआ हो तथा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय हो निबिदा के साथ देना होगा | ई – निबिदादाता को ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी ई- निबिदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में निबिदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय से पहले जमा करवाना होगा अन्यथा निबिदाएं अस्वीकार कर दी जाएगी |
8. अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद कर सकते है |
9. सशर्त एवं अधूरी वाली निबिदा स्वीकार नहीं की जाएगी | केवल अनुक्रियाशील निविदाएं ही स्वीकार की जाएगी|
10. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि मे समायोजित कर ली जाएगी और कार्य समाप्त होने तक कार्यालय मे जमा रहेगी तथा यह राशि टैंडर की अवधि समाप्त होने व संतोषजनक कार्यपूर्ति पर बिना ब्याज वापिस लौटा दी जाएगी | असफल निविदादाताओ की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जाएगी |

11. स्वीकृत दरो पर कार्य की अवधि 31.03.2026 तक होगी | अगर नई निविदा की स्वीकृति किसी कारणवश 31.03.2026 तक नहीं होती तो 31.03.2026 के बाद भी नई निविदा की स्वीकृति होने तक इन्ही स्वीकृत दरो पर कार्य करना होगा |

12. बिशेष परिस्थितीयों के कारण या कारखाना में रिक्त पदों को भरने के कारण, दिये गए कार्य को अवधि समाप्त होने से पहले भी रद्द किया जा सकता है |

13. निविदादाता को कार्य का भुगतान एलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे अपना बैंक सेविंग खाता प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा |

14. निविदा कार्य अवधि के दौरान लगभग 20500 ड्रमो को उत्पादन अनुभाग से डिस्पेच सेक्शन तक लुढ़का कर ले जाना होगा।

15. कार्य की मात्रा अनुमानित है जो कार्यानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है|

16. सफल निविदादाता को महाप्रबन्धक या मनोनित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशो का पालन करना होगा तथा आदेशो के अनुसार ही कार्य करना होगा ताकि मौजूदा कानून का पालन हो |

17. यदि सफल निविदादाता किसी कार्य को करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी |

18. आयकर सेक्शन-194 के तहत हर बिल मे से काट लिया जाएगा |

19. ठेकेदार को अपने सभी मजदूरो के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरो के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

20. किसी प्रकार का बिवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्रधिकार बिलासपुर हि०प्र० होगा |

21. किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रवन्ध निर्देशक हि०प्र० राज्य निर्देशक हि०प्र० राज्य वन विकास निगम सीमित शिमला का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा |

22. ठेकेदार को जिला रोजगार अधिकारी से अपने मजदूरो का परिचय पत्र लेने होंगे |

23. ठेकेदार को अपने मजदूरो के वेतन की अदायगी प्रति माह करनी होगी | जिसकी एक प्रति कार्यालय मे प्रेपित करनी होगी |

24. निविदा की स्वीकृति मिलने के पाँच दिनों के भीतर निविदादाता को इस कार्यालय मे अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के बाद ही सफल निविदाता को कार्य आवंटित किया जाएगा |

25. सफल निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, समय अनुसार सरकारी नियमों के मुताविक सफल निबिदादाता को स्वयं देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा 1

26.ठेकेदार को अपने सभी मजदूरो के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरो के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रवंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

27.लेबर एक्ट 1970 के तहत ठेकेदार को संबन्धित अधिकारी से मजदूरो को पंजीकृत करवाना होगा यह कार्य उसे कारख़ाना मे काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर करवाना होगा तथा कार्य से संबन्धित कोई भी रिटर्न समय पर देनी होगी |

28.अगर सफल निविदादाता का अपना भविष्य निधि कोड नंबर नहीं होगा तो उसे वर्क आर्डर मिलने कि तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेना होगा तथा उसकी सुचना प्रति सहित कार्यालय में देनी होगी तथा अपने सभी मजदूरों की ई०पी०एफ० अपने हिस्से के साथ सभी रिटर्नों सहित ई०पी०एफ० अथौरिटी के पास नियमानुसार हर माह जमा करवानी होगी तथा कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय को भी एक प्रति सूचनार्थ देनी होगी उसके उपरान्त ही संबन्धित माह के बिल की अदायगी की जाए |

29.निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए | निविदादाता को पेन (PAN NO.) संबन्धित विभाग से लेना होगा |

30. यदि निविदा में न्यूनतम निविदादाता की दरे उचित नहीं होगी तो केवल समझौता वार्ता न्यूनतम निविदा से ही की जाएगी |

32. ठेकेदार को प्रतीदिन निम्न काम सुबह 8 वजे से साम 5 बजे तक करने होंगे |

- ठेकेदार को उत्पादन अनुभाग से रोजिन ड्रमों को प्रतीदिन डिस्पेच सेक्शन तक लुद्का कर ले जाना
- तथा ड्रमों को ग्रेड अनुसार लगाना होगा यह भी सुनिश्चित करना होगा की ड्रम ना खुले ना टूटे।
- ड्रमों का वजन आदेशअनुसार चेक करना होगा ।
- डीसपेच सेक्शन की सफाई करना।
- ड्रमों की लोडिंग के समय साफ करना तथा ड्रमों को रेम्प तक पहुचाना।
- अन्य सम्बधिंत कार्य फोरमेन/ सुपरवाइजर के आदेशानुसार करना।

33 अगर उपरोक्त कार्य आदेशअनुसार नही किया गया तो कारखाना के नुकसान की भरपाई भी ठेकेदार को करनी होगी।

34 उपरोक्त कार्य में कमी की स्थिति में 20/- रुपया प्रति ड्रम जुरमाना अदा करना होगा। कमी को दुबारा दोहराने पर 25/-रुपया प्रति ड्रम जुरमाना अदा करना होगतीसरी बार ऐसा करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा व् ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई पात्रता राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

35.अगर किसी कारण, कार्य नहीं करवाया जाता है तो वन निगम को कार्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

36. सफल निविदादाता को फेक्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट के तहत सुरक्षा से संबंधित जरूरी उपकरण व वर्दी, साबुन, सरसों तेल, इत्यादी व अन्य आवश्यक सुबिधायें जो देय बनती है, अपने मजदूरों को उपलब्द करवानी पड़ेगी |

37. सफल निविदादाता अपने सभी मजदूरों की सूचि उनके गृह पते, आयु व पहचान प्रमाण पत्र के नम्बरों सहित स्वयम द्वारा सत्यापित करने के उपरांत कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय में देना होगा उसके

उपरांत ही कारखाना में काम करने की अनुमति दी जाएगी | मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी | अगर सफल निबिदादाता कार्य के लिए प्रवासी मज़दूरों को उपलब्द करवाएगा तो प्रवासी मज़दूरों का सत्यापन पुलिस से करवाना पड़ेगा तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में देनी होगी उसके उपरांत ही प्रवासी मज़दूरों को कारखाना में काम करने की अनुमति दी जायेगी |

38.मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी 1

39.अगर सफल निबिदादाता, निबिदा की उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा करवाई गई प्रतिभूति राशी हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी |

महाप्रबन्धक

मैंने हमने सभी शर्तों को /ध्यान पूर्वक पढ़ हमे मंजूर है/ सुन लिया है व मुझे / हमे मंजूर है

क्रम सं० नाम व पता हस्ताक्षर

रोजीन के ड्रमों का बजन करना ,टोपिंग स्तेंसिलिंग व ढकन लगाना, और तैयार ड्रमों को डिस्पेच सेक्शन को सौंपना तथा रोजीन से भरे ड्रमों से सम्बधित अन्य कार्य हेतु दिनांक 13.05.2025 को आमंत्रित की निबर्धन शर्ते :-

1 यह ई – निबिदा हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में आमंत्रित की जा रही है ।

2 निबिदादाता बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए 1 निबिदा के साथ अपनी (GSTN ID) की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा1 सफल निविदादाता को बस्तु एवं सेवा कर अधिनियग (GST) के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवॉइस पर किये गये कार्य का विल बना कर हर महीने देना होगा 1 अन्यथा बिल पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा 1

3 निबिदा प्रपत्र, के लिए 1475/- रु GST सहित की राशि का डिमांड ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय होना चाहिए 1 ई – निबिदादाता को डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी तथा निविदा खोलने की दिनांक व समय से पहले डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में जमा करवाना होगा 1 निविदाएं जिनके लिए यह कीमत अदा नही की होगी , स्वीकार नहीं की जाएगी 1

4 ई – निबिदाएं टेंडर वेबसाइट पर दिंनाक 13.05.2025 को दोपहर बाद 1.00 बजे से पहले प्राप्त हो जानी चहिये 1

5 निबिदाएं दिनांक 13.05.2025 को सांयकाल 2.00 बजे खोली जायेगी 1 निबिदादाता जो उपस्थित रहना चाहे वह निर्धारित समय व दिनांक स्थान पर उपस्थित हो सकते है ।

6 निबिदा के लिए धरोहर राशि मु० 75000 रु० डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम जारी हुआ हो तथा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय हो निविदा के साथ देना होगा 1 ई – निविदादाता को ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी ई- निबिदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना विलासपुर के कार्यलय में निबिदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय से पहले जमा करवाना होगा अन्यथा निबिदाएं अस्वीकार कर दी जाएगी ।

7 अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को विना कारण बताए रद कर सकते है ।

8 सशर्त एवं अधूरी वाली निबिदा स्वीकार नहीं की जाएगी । केवल अनुक्रियाशील निविदाएं ही स्वीकार की जाएगी ।

9 सफल बोलीदाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि मे समायोजित कर ली जाएगी और कार्य समाप्त होने तक कार्यालय मे जमा रहेगी तथा यह राशि टैंडर की अवधि समाप्त होने व संतोषजनक कार्यपूर्ति पर बिना ब्याज वापिस लौटा दी जाएगी । असफल निविदादाताओ की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जाएगी ।

10 स्वीकृत दरो पर कार्य की अवधि 31.03.2026 तक होगी । अगर नई निविदा की स्वीकृति किसी कारणवश 31.03.2026 तक नहीं होती तो 31.03.2026 के बाद भी नई निविदा की स्वीकृति होने तक इन्ही स्वीकृत दरो पर कार्य करना होगा ।

11 बिशेष परिस्थितीयों के कारण या कारखाना में रिक्त पदों को भरने के कारण, दिये गए कार्य को अवधि समाप्त होने से पहले भी रद्द किया जा सकता है ।

12 निविदादाता को कार्य का भुगतान एलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे अपना बैंक सेविंग खाता प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा ।

13 निविदा कार्य की अवधि के दौरान लगभग 20500 रोजीन के ड्रमों का बजन ,टोपिंग ,स्तेंसिलिंग ,ढक्कन लगाना और तैयार ड्रमों को डिस्पैच सेक्शन को सौंपना तथा रोजीन से भरे ड्रमों से सम्बंदित अन्य कार्य भी करना होगा कार्य की मात्रा अनुमानित है जो घट या बढ़ सकती है ।

14 सफल निबिदादाता को महाप्रबन्धक या मनोनित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशो का पालन करना होगा तथा आदेशो के अनुसार ही कार्य करना होगा ताकि मौजूदा कानून का पालन हो ।

15 यदि सफल निविदादाता किसी कार्य को करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा कारवाई गई धरोहर राशि वन निगम के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी |

16 आयकर सेक्शन -194 के तहत हर बिल से काट लिया जाएगा |

17 ठेकेदार को अपने मजदूरो का बीमा किसी अपयुक्त कम्पनी से पालसी लेकर करवाना होगा | यह मौजूदा कानून के मुताबिक है |

18 किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्रधिकार बिलासपुर हि०प्र० होगा |

19 किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रवन्ध निर्देशक हि०प्र० राज्य निर्देशक हि०प्र० राज्य वन विकास निगम सीमित शिमला का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा |

20 ठेकेदार को जिला रोजगार अधिकारी से अपने मजदूरो का परिचय पत्र लेने होंगे |

21 ठेकेदार को अपने मजदूरो के वेतन की अदायगी प्रति माह करनी होगी | जिसकी एक प्रति कार्यालय मे प्रेषित करनी होगी |

22 निविदा की स्वीवृति मिलने के पाँच दिनों के भीतर निविदादाता को इस कार्यालय मे अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के बाद ही सफल निविदाता को कार्य आबंटित किया जाएगा |

23 सफल निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, समय अनुसार सरकारी नियमों के मुताबिक सफल निबिदादाता को स्वयं देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा |

24 ठेकेदार को अपने सभी मजदूरो के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरो के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

25 लेबर एक्ट 1970 के तहत ठेकेदार को संबन्धित अधिकारी से मजदूरो को पंजीकृत करवाना होगा यह कार्य उसे कारख़ाना मे काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर करवाना होगा तथा कार्य से संबन्धित कोई भी रिटर्न समय पर देनी होगी |

26 अगर सफल निविदादाता का अपना भविष्य निधि कोड नंबर नहीं होगा तो उसे वर्क आर्डर मिलने कि तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेना होगा तथा उसकी सुचना प्रति सहित कार्यालय में देनी होगी तथा अपने सभी मजदूरों की ई०पी०एफ० अपने हिस्से के साथ सभी रिटर्नो सहित ई०पी०एफ० अथौरिटी के पास नियमानुसार हर माह जमा करवानी होगी तथा कारख़ाना प्रवन्धक के कार्यालय को भी एक प्रति सूचनार्थ देनी होगी उसके उपरान्त ही संबन्धित माह के बिल की अदायगी की जाए |

27 निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए | निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए | निविदादाता को पेन (PAN NO) संबन्धित विभाग से लेना होगा |

28 यदि निविदा में न्यूनतम निविदादाता की दरे उचित नहीं होगी तो केवल समझौता वार्ता न्यूनतम निविदा से ही की जाएगी |

29. ठेकेदार को प्रतिदिन निम्न काम सुबह 8 बजे से साम 5 बजे तक करने होंगे |

- ठेकेदार को जितने भी ड्रम उत्पादन अनुभाग में बनेगे उनका ड्रम वायज वजन करना, टोपिंग करना, स्तेसिलिंग करना, ढक्कन लगाना तथा बाद में ड्रमो को डीसपेच सेक्शन को हैंड ओवर करने से पहले रीचेक भी करना होगा |
- तैयार ड्रमों पर आई एस आई मार्का व अन्य स्तेंसिलिंग ग्रेड अनुसार लगाना होगा व तैयार ड्रमों को रोल करके प्रतीदिन डीसपेच सेक्शन को हैंड ओवर करना होगा यह भी सुनिश्चित करना होगा की ड्रम न खुले न टूटे व ड्रमों का बजन उचित हो |
- ठेकेदार को सभी स्टैन्सिल धातु सामाग्री से स्वयं बनवाकर अनुमोदन उपरान्त उपयोग करने होंगे जिसका विवरण कारख़ाना प्रबन्धक से प्राप्त किया जा सकता है |
- उत्पादन अनुभाग में रोजीन जो फर्श पर गिरा होता है उसे उठा कर ,छान कर, इक्कठा कर अलग करना होगा 1
- अन्य सम्बधित कार्य भी करने होंगे 1

30 उपरोक्त कार्य में कमी की स्थिति में 50 रुपया प्रति ड्रम जुरमाना अदा करना होगा। कमी को दुबारा दोहराने पर 100रुपया प्रति ड्रम जुरमाना अदा करना होगा तीसरी बार ऐसा करने पर . ठेका रद्द कर दिया जायेगा व् ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

31 यह कार्य रेजिन की उपलब्धता तथा जरूरत के अनुसार करबाया जाएगा अगर किसी कारण से यह कार्य नहीं करवाया जाता है तो वन निगम को कार्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

32 सफल निविदादाता को फेक्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट के तहत सुरक्षा से संबंधित जरूरी उपकरण व वर्दी, साबुन, सरसों तेल, इत्यादी व अन्य आवश्यक सुविधायें जो देय बनती है, अपने मजदूरों को उपलब्द करबानी पड़ेगी।

33 सफल निबिदादाता अपने सभी मजदूरों की सूचि उनके गृह पते, आयु व पहचान प्रमाण पत्र के नम्बरों सहित स्वयम द्वारा सत्यापित करने के उपरांत कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय में देना होगा उसके उपरांत ही कारखाना में काम करने की अनुमति दी जाएगी। मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी। अगर सफल निबिदादाता कार्य के लिए प्रवासी मज़दूरों को उपलब्द करवाएगा तो प्रवासी मज़दूरों का सत्यापन पुलिस से करवाना पड़ेगा तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में देनी होगी उसके उपरांत ही प्रवासी मज़दूरों को कारखाना में काम करने की अनुमति दी जायेगी।

34 सफल निबिदादाता के मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की सभी श्रम कानून सम्बन्धी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी 1

35 अगर सफल निबिदादाता , निबिदा की उपरोक्त सभी शर्तो के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा करवाई गई प्रतिभूति राशी हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

महाप्रबन्धक

मैंने हमने सभी शर्तों को /ध्यान पूर्वक पढ़ हमे मंजूर है/ सुन लिया है व मुझे / हमे मंजूर है

क्रम सं० नाम व पता हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बिरोजा व तारपीन कारख़ाना बिलासपुर
कच्चे बिरोजे के टिनो को उतरना तथा रेजिन यार्ड में स्टैक करने हेतु दिनांक 13.05.2025 को आमंत्रित की गई ई निविदा की निबर्धन शर्ते :

1- यह ई – निबिदा हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में आमंत्रित की जा रही है।

2- निबिदादाता वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए 1 निबिदा के साथ अपनी (GSTN ID) की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। सफल निबिदादाता को बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवॉइस पर किये गये कार्य का बिल बना कर हर महीने देना होगा। अन्यथा बिल पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- निबिदा प्रपत्र, के लिए 708/- रु GST सहित की राशि का डिमांड ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय होना चाहिए। ई – निबिदादाता को डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी तथा निबिदा खोलने की दिनांक व समय से पहले डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में जमा करवाना होगा 1 निविदाएं जिनके लिए यह कीमत अदा नही की होगी , स्वीकार नहीं की जाएगी 1

4- ई – निबिदाएं टेंडर वेबसाइट पर दिंनाक 13.05.2025 को दोपहर बाद 1.00 बजे से पहले प्राप्त हो जानी चहिये1

5- निबिदाएं दिनांक 13.05.2025 को सांयकाल 2.00 बजे खोली जायेगी 1 निबिदादाता जो उपस्थित रहना चाहे वह निर्धारित समय व दिनांक स्थान पर उपस्थित हो सकते है।

6- निविदा के लिए धरोहर राशि मु० 30000/-रु० डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम जारी हुआ हो तथा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय हो निबिदा के साथ देना होगा। ई – निविदादाता को ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी ई- निबिदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में निबिदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय से पहले जमा करवाना होगा अन्यथा निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएगी।

7- सशर्त एवं अधूरी वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी केवल अनुक्रियाशील निबिदाएं ही स्वीकार की जाएगी।

8- सफल बोलीदाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि मे समायोजित कर ली जाएगी और कार्य समाप्त होने तक कार्यालय मे जमा रहेगी तथा यह राशि टैंडर की अवधि समाप्त होने व संतोषजनक कार्यपूर्ति पर बिना ब्याज वापिस लौटा दी जाएगी। असफल निविदादाताओ की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जाएगी।

9- स्वीकृत दरो पर कार्य की अवधि 31.03.2026 तक होगी। अगर नई निविदा की स्वीकृति किसी कारणवश 31.03.2026 तक नहीं होती तो 31.03.2026 के बाद भी नई निविदा की स्वीकृति होने तक इन्ही स्वीकृत दरो पर कार्य करना होगा।

10- निविदादाता को कार्य का भुगतान एलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे अपना बैंक सेविंग खाता प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा।

11- अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद कर सकते है |

12- कार्य की मात्रा 300000 टिन अनुमानित है जो कार्यानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है|

13- निविदादाता को अपनी दर प्रति सैंकड़ा टिनों के लिए देनी होगी |

14- सफल निबिदादाता को महाप्रबन्धक या मनोनित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशो का पालन करना होगा तथा आदेशो के अनुसार ही कार्य करना होगा ताकि मौजूदा कानून का पालन हो |

15- आयकर सेक्शन -194 के तहत हर बिल से काट लिया जाएगा |

16- सफल निबिदादाता को अपने मजदूरो का बीमा किसी अपयुक्त कम्पनी से पालसी लेकर करवाना होगा | यह मौजूदा कानून के मुताविक है |

17- यदि सफल निविदादाता किसी कार्य को करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा कारवाई गई धरोहर राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा उस कार्य को करवाने के लिए दूसरे ठेकेदार/संस्था को जो अधिक धन देना पड़ेगा वह ठेकेदार से उसकी प्रतिभूति राशि या देय राशि से काट लिया जाएगा |

18- किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबन्ध निर्देशक हि०प्र० राज्य निर्देशक हि०प्र० राज्य वन विकास निगम सीमित शिमला का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा |

19- किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्रधिकार बिलासपुर हि ०प्र० होगा |

20- ठेकेदार को जिला रोजगार अधिकारी से अपने मजदूरो का परिचय पत्र लेने होंगे |

21- ठेकेदार को अपने मजदूरो के वेतन की अदायगी प्रति माह करनी होगी | जिसकी एक प्रति कार्यालय मे प्रेषित करनी होगी |

22- निविदा की स्वीकृति मिलने के पाँच दिनों के भीतर निविदादाता को इस कार्यालय मे अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष मे जव्त कर ली जाएगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के बाद ही सफल निविदाता को कार्य आबंटित किया जाएगा |

23- सफल निबिदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, समय अनुसार सरकारी नियमों के मुताबिक सफल निविदादाता को स्वयं देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा 1

24- ठेकेदार को अपने सभी मजदूरो के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरो के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

25- लेबर एक्ट 1970 के तहत ठेकेदार को संबन्धित अधिकारी से मजदूरो को पंजीकृत करवाना होगा यह कार्य उसे कारख़ाना मे काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर करवाना होगा तथा कार्य से संबन्धित कोई भी रिटर्न समय पर देनी होगी |

26- अगर सफल निविदादाता का अपना भविष्य निधि कोड नंबर नहीं होगा तो उसे वर्क आर्डर मिलने कि तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेना होगा तथा उसकी सुचना प्रति सहित कार्यालय में देनी होगी तथा अपने सभी मजदूरों की ई०पी०एफ० अपने हिस्से के साथ सभी रिटर्नो सहित ई०पी०एफ०

अथौरिटी के पास नियमानुसार हर माह जमा करवानी होगी तथा कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय को भी एक प्रति सूचनार्थ देनी होगी उसके उपरान्त ही संबन्धित माह के बिल की अदायगी की जाए |

27- निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए | निविदादाता वन निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए | निविदादाता को पेन (PAN NO) संबन्धित विभाग से लेना होगा |

28- कच्चे बिरोजे के टिनो को ट्रक से उतार कर रेजिन यार्ड मे बताए गए स्थानो व तरीके से पाँच टिनों की ढांक सफल निविदादाता को लगानी होगी | अगर ट्रक से टिनों को उतारने के बाद ढांक लगाने की जगह दूर होगी तो भी टिनों को निर्धारित स्थान पर ले जाने का खर्चा भी उसी में शामिल होगा |

29- हर गाड़ी में दो प्रतिशत या कम से कम दस टिन सब्की विशलेषण के लिए उतारे गए तरीके द्वारा अलग से छाँटने होंगे व उनकी सब्की विल्डिंग मे बताए गए स्थान पर स्टैक करना होगा | उसके लिए अलग से. राशि नहीं दी जाएगी|

30- विभिन्न मंडलो से आए टिनों को बताए गए तरीके से अलग- अलग स्थानो पर उतारना व स्टैक करना होगा |

31- सफल निविदादाता ट्रक चालक व उसके मालिक से डाला/ पैसा नहीं लेगा | इस सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी के पास कोई शिकायत आएगी तो टेंडर रद कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति राशि वन निगम के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी |

32- अगर ट्रक की उतराई उचित समय पर नहीं की जाती तो प्रति ट्रक 1000/- रु०प्रतिदिन के हिसाब से उसके बिल से काट लिया जाएगा |

33- यदि निविदा में न्यूनतम निविदादाता की दरे उचित नहीं होगी तो केवल समझौता वार्ता न्यूनतम निविदा से ही की जाएगी |

34- सफल निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार सफल निबिदादाता को देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा 1

35- सफल निविदादाता को फेक्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट के तहत सुरक्षा से संबंधित जरूरी उपकरण व वर्दी, साबुन, सरसों तेल, इत्यादी व अन्य आवश्यक सुबिधायें जो देय बनती है, अपने मजदूरों को उपलब्द करबानी पड़ेगी |

36- सफल निविदादाता अपने सभी मजदूरों की सूचि उनके गृह पते, आयु व पह्चान प्रमाण पत्र के नम्बरों सहित स्वयम द्वारा सत्यापित करने के उपरांत कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय में देना होगा उसके उपरांत ही कारख़ाना में काम करने की अनुमति दी जाएगी | मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी | अगर सफल निबिदादाता कार्य के लिए प्रवासी मज़दूरों को उपलब्द करवाएगा तो प्रवासी मज़दूरों का सत्यापन पुलिस से करवाना पड़ेगा तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में देनी होगी उसके उपरांत ही प्रवासी मज़दूरों को कारखाना में काम करने की अनुमति दी जायेगी |

37- मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां , सफल निबिदादाता की ही रहेगी

8- अगर सफल निविदादाता , निबिदा की उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा करवाई गई प्रतिभूति राशी हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी |

महाप्रबन्धक

मैंने हमने सभी शर्तो को /ध्यान पूर्वक पढ़ हमे मंजूर है/ सुन लिया है व मुझे / हमे मंजूर है

क्रम सं० नाम व पता हस्ताक्षर